

26/12/21

वादीनी व वादीनी के वकील अनुपस्थित। वादीनी एवं उनके वकील को न्यायलय समय में प्रथम-प्रथम तीन बार आज्ञा दिलायी गई आवपद सूचना अनुपस्थित रहने पर वादीगण के कद को अदम चेंदनी व अदम हाली में स्वारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार देकर नम्बर से कम देकर दारखिल इफ्तार है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

